झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: **संकल्प** ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–445/03, गृह जिला–भागलपुर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधुपुर, देवघर के विरूद्ध असर्वेक्षित प्रकृति की भूमि का एन0ओ0सी0 निर्गत करने एवं नामांतरण करने, बचत खाता में कम समय में लाखों का लेनदेन करने, पत्नी के नाम से 30 एकड़ की भूमि क्रय करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2569/रा0, दिनांक–24.05. 2017 के माध्यम से उपायुक्त, देवघर का पत्रांक–748/रा0, दिनांक–19.04.2017 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री लाल के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लाल को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री लाल द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, देवघर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई. सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अशोक कुमार खेतान)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–77/2017 का० ..../राँची, दिनांक ....जनवरी, 2019

प्रतिलिपि– अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/श्री विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, पता–**(1)** मकान संख्या–49, वार्ड सं0–7, मधुपुर, देवघर, पिन–815353 **(2)** वार्ड संख्या–2, चंपानगर, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, पिन–812004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख सॉफ्ट कॉपी के साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–77/2017 का० ...93.../राँची, दिनांक ...4...जनवरी, 2019

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, देवघर/अपर समाहर्त्ता, देवघर/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/01/19

सरकार के संयुक्त सचिव।